पत्रांक- बि.प्र.सु.मि.सो./RTPS-03/2014....961....

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आदेश ति० (भा०प्र०से०),

अपर मिशन निदेशक।

प्रेषित,

सभी जिला आई.टी. प्रबंधक

पटना, दिनांक- 04 दिसम्बर, 2014

विषय- **लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालयों में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के निष्पादन के मामले में विभिन्न माध्यमों से शिकायत/परिवाद प्राप्त होती रहती है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि:-

(1) प्रत्येक सप्ताह प्रखण्ड- सह-अंचल कार्यालयों के न्यूनतम तीन RTPS काउन्टरों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी एवं मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) निरीक्षण की तिथि का काउन्टर का फोटोग्राफ (जिसमें आप स्वयं हो) मिशन कार्यालय को ई.मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। भेजे जाने वाले फोटोग्राफ काउन्टर के बाहर एवं अंदर के तीन ऐंगल से इस प्रकार से लिया जाए, जिसमें काउन्टर की संख्या, काउन्टर पर अंकित निदेश तथा RTPS के प्रावधानों से संबंधित प्रदर्शित सूचना पट्ट स्पष्ट रूप दिखाई दे।

विश्वासभाजन

02.12.14

(आदेश ति०)

अपर मिशन निदेशक

E:\BPSM\Letter\AMD.docx(Chandan)